

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती शिल्पा सिंह, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 88 / 2021

उनवान

- 1- श्री हेमराज पुत्र स्व0 लादू गुसाई निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 2- आशा पुत्री स्व0 लादू गुसाई निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 3- श्रीमति सोहनी पत्नी स्व0 लादू गुसाई निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 4- श्रीमति शान्ती देवी पत्नी स्व0 ओम प्रकाश गुसाई निवासी बिलिया तहसील
- 5- मु0 पूजा पुत्री स्व0 ओम प्रकाश गुसाई जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 ओम प्रकाश निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 6- मु0 लक्ष्मी पुत्री स्व0 ओम प्रकाश गुसाई जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती शान्ती देवी पत्नी स्व0 ओम प्रकाश निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- श्री उदा पुत्र स्व0 रूपा हरिजन निवासी बिलिया तहसील शाहपुरा
- 2- श्रीमान पटवारी साहब प0ह0 बिलिया तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री दुर्गालाल राजोरा  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय :-

दिनांक- 07/07/2021

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - प्रार्थीगण के ग्राम बिलिया तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 470/1435 रकबा 0.03 है0, 510/1541 रकबा 0.54 है0 कुल कित्ता 2 रकबा 0.57 हैक्टेयर की प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावें।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 1 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बिलिया संवत 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् की प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बिलिया में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् कित्ता 2 रकबा 0.57 की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रूपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह IAS)

उपखण्ड अधिकारी

एवं सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा  
राजस्थान

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावें।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा (भीलवाड़ा) राज.